ख़ारिज Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

समक्ष-सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-08/2021 / सी.आई.एस.क्र.-08/2021

डोमि यादव एवं अन्य बनाम राधाकांत यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
1 9 /08 /25	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है | प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है | यह वाद प्रतिवादी सं. 1 से 4 एवं 7 से 9 की और से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11/02/2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है | उक्त आवेदन को संचालित कर समर्पित किया गया है कि उक्त प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित हुए थे परन्तु दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण नियत समय में लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके जिस कारण से उन्हें दिनांक 01/12/23 लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है अत : निवेदन है कि उक्त आवेश को वापस लेकर उक्त प्रतिवादी गण के ;लिखित कथन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय | वादी के द्वारा प्रतिउत्तर न प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है | उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 7 से 9 इस वाद में दिनांक 17 दिसंबर 2021 को ही उपस्थित हो गए थे परंतु उनके द्वारा नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उन्हें 1 दिसंबर 2023 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है।उक्त प्रतिवादिगण दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने के कारण नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं तथा उक्त प्रतिवादी गण के द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2024 को लिखित कथन प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त प्रतिवादीगण वाद में संघर्ष करने के लिए तैयार है | वाद की प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह उभयपक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाए ऐसी दशा में उक्त प्रतिवादिगण के इस आवेदन को न्याय हित में ₹500 खर्च पर स्वीकृत कर उनके लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। खर्चावादी को दे होगा। वाद दिनांक 16/09/25 वास्ते सुलह वार्ता हेतु नियत | लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	